संख्या: 06/2022/286/94-स्टा0नि0-2-2022-700(04)/2021

प्रेषक,

अजय कुमार अवस्थी,
विशेष सचिव,
उ०प्र० शासन।

सेवा में,

1- समस्त जिला मजिस्ट्रेट, उ०प्र०।
2- समस्त अपर जिला मजिस्ट्रेट (वित्त एवं राजस्व), उ०प्र०।
3- समस्त सहायक आयुक्त (स्टाम्प, उ०प्र०) ।

स्टाम्प एवं रजिस्ट्रेशन अनुभाग-2 **लखनऊ, दिनांक : 23 मई, 2022**

विषय : भारतीय स्टाम्प अधिनियम, 1899 की धारा-31 के अधीन कार्यवाही हेतु समय-सीमा निर्धारित किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषय के सम्बन्ध में अवगत कराना है कि भारतीय स्टाम्प अधिनियम, 1899 के प्रावधानों के अधीन स्टाम्प कलेक्टर के द्वारा, अधिनियम की धारा 31 के प्रावधानों के अंतर्गत विलेखों पर प्रभार्य स्टाम्प शुल्क का अधिनिर्णयन किया जाता है। इस सम्बन्ध में शासन के संज्ञान में यह तथ्य आया है कि पक्षकारों द्वारा सम्बन्धित विलेखों पर प्रभार्य स्टाम्प शुल्क के अधिनिर्णयन का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किये जाने के उपरान्त स्टाम्प कलेक्टर द्वारा इन प्रार्थना पत्रों के निस्तारण में अनावश्यक विलम्ब किया जाता है, जिससे सम्बन्धित पक्षकारों का उत्पीड़न परिलक्षित हो रहा है।

2- उपरोक्त स्थिति के निवारण हेतु शासन द्वारा सम्यक् विचारोपरान्त यह निर्णय लिया गया है कि भारतीय स्टाम्प अधिनियम, 1899 की धारा 31 के प्रावधानों के अधीन विलेखों पर प्रभार्य स्टाम्प शुल्क के अधिनिर्णयन कार्यवाही, पक्षकारों द्वारा सम्बन्धित प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किये जाने के दिनांक से यथासम्भव तीन माह की अवधि के भीतर आवश्यक रूप से निस्तारित कर दी जाय।

3- इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि कृपया उपरोक्त निर्देशों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जाय।

भवदीय,

अजय कुमार अवस्थी
विशेष सचिव।

संख्या:06/2022/286(1)/94-स्टा0नि0-2-2022 तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- महानिरीक्षक निबन्धन/आयुक्त स्टाम्प, उ०प्र०।
2- समस्त उप महानिरीक्षक निबन्धन, उ०प्र०।

आज्ञा से,

अशोक कुमार पाण्डेय
अनु सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in